Seventeenth Loksabha

an>

Title: **Regarding encounter killings in the country.***h

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, हाल में ही देश में पुलिस एन्काउंटर के रूप में न्यायिक हिरासत में हत्याओं की घटना सामने आई हैं। ये हत्याएँ सब समाज के लिए एक खतरा हैं। इन हत्याओं से लोगों में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है। साथ ही इनसे हिंसा और उपद्रव के वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वे खासतौर से दलित, शोषित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। इसमें ठेले वाले और कमजोर समाज के लोग हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 तक कई वर्षों से गिरने के बाद अब न्यायिक हिरासत में हत्याएँ देश में फिर से बढ़ रही हैं। वर्ष 2014 में पुलिस हिरासत में 40 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2017 में यह आँकड़ा बढ़कर 772 हो गई **।**…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी**,** बस तुरंत मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हाल में ही गैंगस्टर विकास दूबे जैसे जघन्य अपराधी को भी देश की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि देश में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर लोगों का विश्वास कमजोर नहीं होता। मैं माननीय गृह मंत्री एवं विधिक और न्याय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर देश के आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करें, ताकि लोकतंत्र के मूल्यों का अनुपालन हो। पुलिस जज, जूरी और जल्लाद, इन तीनों का रोल अदा करना बंद करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री कुलदीप राय शर्मा और

श्री मलूक नागर को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।